

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 52/2022

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

1- सुरेशचन्द्र पिता रामचन्द्र ब्राहमण नि. भाटोली तहसील बड़ीसादड़ी

—वादी

—: बनाम :—

- 1- नाथूलाल पिता किशना जाट नि. कचूमरा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- कुशबा पुत्री किशना जाट नि. कचूमरा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- मांगीबाई पुत्री किशना जाट नि. कचूमरा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा बड़ीसादड़ी
- 5- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि —

मौजा कचूमरा पटवार हल्का भाटोली की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- सुरेशचन्द्र पुत्र रामचन्द्र ब्राहमण सा. भाटोली खातेदार रहन ICICI बैंक लि. शाखा बड़ीसादड़ी

आ. नं.	रकबा
<u>825 मी/2</u>	<u>0.525</u>
1	0.525

2- नाथूलाल पुत्र किशना 1/3 कुशबा पुत्री किशना 1/3 मांगीबाई पुत्री किशना 1/3 जाट सा. देह खातेदार रहन ICICI बैंक लि. शाखा बड़ीसादड़ी

आ. नं.	रकबा
<u>825 मी/1</u>	<u>0.525</u>
1	0.525

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी



मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 52/2022 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

1- सुरेशचन्द्र पिता रामचन्द्र ब्राहमण नि. भाटोली तहसील बड़ीसादड़ी

-वादी

-: बनाम :-

- 1- नाथुलाल पिता किशना जाट नि. कचूमरा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- कुशबा पुत्री किशना जाट नि. कचूमरा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- मांगीबाई पुत्री किशना जाट नि. कचूमरा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा बड़ीसादड़ी
- 5- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा कचूमरा पटवार हल्का भाटोली की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- सुरेशचन्द्र पुत्र रामचन्द्र ब्राहमण सा. भाटोली खातेदार रहन ICICI बैंक लि. शाखा बड़ीसादड़ी

आ. नं.	रकबा
825 मी/2	0.525
1	0.525

2- नाथूलाल पुत्र किशना 1/3 कुशबा पुत्री किशना 1/3 मांगीबाई पुत्री किशना 1/3 जाट सा. देह खातेदार रहन ICICI बैंक लि. शाखा बड़ीसादड़ी

आ. नं.	रकबा
825 मी/1	0.525
1	0.525

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 05.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक राजस्व/2024/223

दिनांक : 5/11/2024

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी